

२३<sup>१७</sup> २५

पत्रावली पेशा हुई। उत्पीडित

वकील प्राची उपस्थित नहीं। इनके अनुपस्थिति  
रहने के कारण प्राचीना-पत्र से संबंधित कल  
दावा अदम परवी अदम हाजरी में खारिज हो  
चुका है। जिससे यह प्राचीना-पत्र भी अदम  
आगे चलने योग्य नहीं है।

अतः यह प्राचीना-पत्र की दस्ती स्वर  
पर खारिज किया जाया है। पत्रावली निर्णय में  
शुमार की जावे तथा खरीद लकमिल की पाकर  
वारिषल दफ्तर की जावे।

उपखण्ड अधिकारी-  
तारानगर (चूरु)